

बिहार सरकार,  
गृह विभाग  
(विशेष शाखा)  
आदेश

पटना, दिनांक- .....सितम्बर, 2016

संख्या-...../सी0, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-367, दिनांक-08.01.2015 एवं पत्रांक-10481, दिनांक-01.08.2016 द्वारा सरकारी कार्यों/सेवाओं से शपथ पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने एवं उसके स्थान पर स्वअभिप्रमाणन/स्वप्रमाणन की व्यवस्था लागू करने के लिए समीक्षा करने तथा इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए श्री उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है।


2. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(राजभूषण प्रसाद)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप संख्या:- स्था0/वि0-09-47/2015-.....8658...../ पटना, दिनांक- 14 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :- श्री उमेश प्रसाद रजक, अवर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना/संयुक्त सचिव के आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/दफ्तरी, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
14.09.16

सरकार के अवर सचिव

  
14/9